

मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

63



निगरानी- 4942/2018/रीवा/भू.श.

1. लोकमणि पटेल पिता स्व0 रामचन्द्र पटेल उम्र 50 वर्ष,
  2. श्यामलाल पिता स्व0 रामचन्द्र पटेल उम्र 47 वर्ष,
  3. शिवमूरत पिता स्व0 रामचन्द्र पटेल उम्र 46 वर्ष,
  4. सुकुरती पुत्री स्व0 रामचन्द्र पटेल उम्र 40 वर्ष,
  5. श्रीमती यसोदिया पति स्व0 रामचन्द्र पटेल 70 वर्ष,
- सभी निवासी ग्राम जुड़मनिया, तहसील मऊगंज, जिला रीवा  
.....निगरानीकर्तागण

बनाम

1. कौशल प्रसाद पटेल तनय जुमना प्रसाद पटेल उम्र 55 वर्ष,
2. काशी प्रसाद पटेल तनय जुमना प्रसाद पटेल उम्र 50 वर्ष,
3. पुष्परज पटेल तनय जवाहरलाल पटेल उम्र 30 वर्ष,
4. मणिराम पटेल (मृतक) के वारिस निम्न है :-

(अ) वालमिक तनय स्व0 मणिराम पटेल  
बुध्नी निवासी तनय स्व. मणिराम पटेल  
(ब) श्रीमती जुलझरिया पत्नी स्व0 मणिराम पटेल

5. जवाहरताल पटेल तनय जमुना प्रसाद पटेल उम्र 55 वर्ष,
6. बृजवासी तनय तिलकधारी
7. हर्षलाल तनय तिलकधारी
8. सनाकली पुत्री तिलकधारी
9. शेषमणि तनय सरजू पटेल
10. रामाधार (मृतक) के वारिस निम्न है :-

(अ) गुलाब तनय स्व0 रामाधार

(ब) बाबूलाल तनय स्व0 रामाधार

श्री. कामेश्वरजी कर्मा  
द्वारा आज दिनांक 13/8/18 को  
प्रस्तुत प्रारम्भिक तय है  
नामिक

उक्त अफिस कंट  
मण्डल म.प्र. ग्वालियर

13/8/18  
16-8-18  
म0प्र0

13/8/18

3

11. अनिराज तनय रामहित पटेल
12. मेवालाल तनय रामहित पटेल
13. मुजाले तनय भागिरथी पटेल
14. मोतीलाल तनय चन्द्रभान पटेल

सभी निवासी ग्राम जुड़मनिया, तहसील मऊगंज, जिला रीवा  
(म०प्र०) .....गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी आदेश दिनांक 26.05.2018 प्रकरण  
क्रमांक 122/ए-6/2014-15 न्यायालय  
श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय,  
तहसील मऊगंज, जिला रीवा म०प्र०

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व  
संहिता 1959 ई०

सान्धवर

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1. यह कि माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय का आदेश दिनांक 26.05.2018 विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि आराजी खसरा नम्बर 2073/1क रकवा 0.090 हे० में से 0.040 हे० एवं खसरा नम्बर 572 रकवा 0.045 हे० में से 0.10 एकड़ भूमि को निगरानीकर्तागण ने विक्रेता के पूर्व कालू प्रसाद के बीच बदलानामा के तहत प्राप्त हुई थी, तब से निगरानीकर्तागण काबिज कास्त हैं एवं मौके से लगातार फसल की बोवाई करते हैं। उक्त भूमि के सम्बन्ध में पटवारी द्वारा प्रतिवेदन भी पेश किया गया था, जिसमें निगरानीकर्तागणों का मौके से कब्जा दखल कायम होना बताया है। इस महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी कर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया गया है वह विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/4942/2018/रीवा/भू0रा0

लोकमणि पटेल आदि

विरुद्ध

कौशल प्राद पटेल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों के हस्ताक्षर
05-3-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील मऊगंज जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 122/अ-6/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 26-5-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 02-5-2019 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आम्र0के0 जेनु सदस्य 13/19</p>